उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-11/2016/सी0एम0-20/30-3-16-18एम/2016
लखनऊ, दिनॉक 19 फरवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप/विज्ञप्ति

श्री प्रवेन्द्र यादव, निवासी-ग्राम व पोस्ट-गढ़सान, जनपद-फिरोजाबाद को श्री राज्यपाल द्वारा एक वर्ष के लिये विकलांगजनों से सम्बन्धित प्रकरण देखे जाने हेतु परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का एतद्द्वारा सलाहकार नामित किया जाता है।

2- श्री प्रवेन्द्र यादव को वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-4/जी-144/दस-2014-1(विविध)/दस-2014, दिनॉक 15-12-2014 के प्राविधानानुसार मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य होंगी। ।

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2016/सी0एम0-20/30-3-2016, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्री प्रवेन्द्र यादव, निवासी-ग्राम व पोस्ट-गढ़सान, जनपद-फिरोजाबाद।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3- निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रीगण।
4- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, लखनऊ।
6- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8- प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग निकट श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ को प्रचारार्थ।
11- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
12- प्रोटोकॉल विभाग।
13- परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in